प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1—उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2—उपाध्यक्ष, हरिद्वार—रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
3—उपाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
4—संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5—मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

विषयः—सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से अनाधिकृत निर्माण पर अंकुश/रोकथाम तथा अनधिकृत निर्माणों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (संशोधन—2013) के अनुसार प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र में कोई भी विकास/निर्माण कार्य करने से पूर्व, उक्त अधिनियम की धारा—15 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त अधिनियम में अनाधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण के संबंध में प्राविधान होने के बावजूद भी, प्राधिकरण क्षेत्रों में अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण होते रहते हैं, जिसके कारण अनियोजित एवं अनियंत्रित विकास से संबंधित दूरगामी समस्यायें उत्पन्न होती हैं।

2— उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनाधिकृत निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम किये जाने तथा निर्माण कार्यों का अनुश्रवण सैटेलाईट इमेजरी/गति शक्ति पोर्टल इत्यादि के माध्यम से किये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित दिशा—निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:—

(1)— प्राधिकरण क्षेत्रों के नियोजन में सैटेलाईट डेटा, एरियल फोटोग्राफी एवं स्थलीय पुष्टि के माध्यम से जी0आई0एस0 आधारित बेसमैप एवं अर्बन लैण्डयूज मैपिंग पद्धति अपनायी जाय तथा महायोजना से संबंधित मानचित्रों को जी0पी0एस0/जी0आई0एस0 इनेबल्ड किया जाए, जिससे कि डिजिटल फेंसिंग/बाउण्ड्री के आधार पर स्थल का वास्तविक सीमांकन सम्भव हो सके। प्राधिकरणों के अंदर अनाधिकृत निर्माण कार्यों के अनुश्रवण संबंधित विकास प्राधिकरणों द्वारा सैटेलाईट इमेजरी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय।

(2)— प्राधिकरण क्षेत्रों में अनाधिकृत निर्माण पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों के अनुश्रवण में महायोजनाओं तथा सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग सुनिश्चित किया जाय। इस आदेश के निर्गत होने की तिथि को सैटेलाइट इमेजरी का आधार बनाते हुये न्यूनतम 03 माह के अन्तराल पर ली जाने वाली सैटेलाईट इमेजरी से तुलना कर अनाधिकृत निर्माणों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

Generated from eOffice by PRAMOD KUMAR, RO-PK, REVIEW OFFICER, Aawas Department on 23/06/2023 11:55 AM

(3)– अनाधिकृत निर्माण/विकास पर नियंत्रण हेतु विकास क्षेत्रों को जोन्स (परिक्षेत्रों) में विभाजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(4)– विकास क्षेत्रों में अनाधिकृत निर्माण/विकास पर नियंत्रण हेतु जोन्स (परिक्षत्रों) में तैनात नोडल/प्रवर्त्तन अधिकारी द्वारा चार्ज छोड़ने/ग्रहण करते समय तत्संबंधी मानचित्र की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न प्रारूप में अनिवार्य रूप से एक–दूसरे को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि उक्त अधिकारी की तैनाती अवधि के दौरान हुये अवैध निर्माण को चिन्हित किया जा सके।

(5)– अनाधिकृत निर्माण/विकास पर नियंत्रण हेतु जोन्स में तैनात नोडल/प्रवर्त्तन अधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अनाधिकृत निर्माण/विकास पर नियंत्रण से संबंधित टिप्पणी अनिवार्य रूप से अंकित की जाए।

(6)– विकास प्राधिकरणों में अतिक्रमण/अवैध निर्माण रोकने में शिथिलता प्रदान करने वाले/अनाधिकृत कॉलोनियों के निर्माण की रोकथाम में विफल/संलिप्त दोषी अधिकारियों/कार्मिकों को चिन्हित करते उनके विरूद्ध नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(7)– अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास/निर्माण को चिन्हित कर संबंधित विकासकर्त्ता/कोलोनाइजर के विरूद्ध सुसंगत प्राविधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(8)– अनाधिकृत निर्माण/विकास के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण संबंधी कार्यवाही का क्रियान्वयन सैटेलाईट इमेजरी/गति शक्ति पोर्टल इत्यादि के माध्यम से संबंधित विकास प्राधिकरणों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा तथा इस हेतु आवश्यकतानुसार नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की सहायता ली जा सकती है।

(9)– अनाधिकृत निर्माण/विकास की रोकथाम का क्रियान्वयन, सैटेलाईट इमेजरी/गति शक्ति पोर्टल इत्यादि के माध्यम से करने की कार्यवाही की समीक्षा समय–समय पर उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण तथा शासन द्वारा की जायेगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। प्रत्येक छः माह में संकलित रिपोर्ट, संक्षिप्त विवरण के साथ उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायी जाय।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Signed by Anand Bardhan
Date: 22-06-2023 21:25:02

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव,

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. गार्ड फाईल।

Generated from eOffice by PRAMOD KUMAR, RO-PK, REVIEW OFFICER, Aawas Department on 23/06/2023 11:55 AM

/132298/2023

प्रारूप - 1

विकास प्राधिकरण में प्रवर्त्तन कार्यों में लगाये गये संबंधित अभियन्ताओं के जोन विशेष के दायित्वों से मुक्त होने की अवधि में चार्ज हस्तान्तरण हेतु

क्र0 सं0	जोन/क्षेत्र का नाम	चार्ज लेने की तिथि	चार्ज देने की तिथि	क्षेत्र में हो रहे कुल निर्माणों की संख्या	नियमित रूप से किये जा रहे निर्माणों की संख्या (सूची संलग्न करें)	अनाधिकृत रूप से निर्मित किये गये भवनों/निर्माणों की संख्या (सूची प्रारूप-2 में संलग्न करें)
1	2	3	4	5	6	7

प्रारूप-2

क्र0 सं0	अनाधिकृत निर्माणकर्त्ता का नाम एवं पता	अनाधिकृत निर्माण का क्षेत्रफल एवं तलों की संख्या	धारा- 27 एवं 28 की कार्यवाही तिथि	धारा-28(ए) के अंतर्गत कार्यवाही की स्थिति	धारा-27 के ध्वस्तीकरण आदेश की स्थिति	धारा-27 के आदेश के क्रियान्वयन की स्थिति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8